न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

[प्रार्थ]ना–पत्र संख्या :–02/2021 दायर दिनांक: 11.01.2021

CMS NO:- 2021/19

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

सुरजमल पुत्र बद्री लाल जाति महाजन निवासी करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल निवासी श्योपुर मध्यप्रदेश ।

–प्रार्थी–

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र बोदी लाल जाति नाथ (पटवा)निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. सरदार पुत्र बोदी लाल जाति नाथ (पटवा)निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. सीताराम पुत्र बोदी लाल जाति नाथ (पटवा)निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. राधेश्याम पुत्र बोदी लाल जाति नाथ (पटवा)निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. रमेशपुत्र बोदी लाल जाति नाथ (पटवा)निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. ओमप्रकाश पुत्र बोदी लाल जाति नाथ (पटवा)निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. माया बाई पुत्री बोदी लाल जाति नाथ (पटवा)निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 13.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम करवर पटवार मण्डल करवर तहसील नैनवां
में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खसरा संख्या 1319/07–08, 1598/01–03, 1600/00–14 तथा
1620/34–12 कुल किता 4 कुल रकबा 43 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना की
चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी की भूमि के खसरा संख्या 1620 में आने जाने का एक मात्र रास्ता ख0 सं0
1623 पर स्थित करवर से इन्द्रगढ वाली डामरीकृत सडक से फटकर दक्षिण दिशा में स्थित अप्रार्थीगण 1
लगायत 7 के सहखातेदारी के ख0 सं0 1621 के पूर्वी साईड में 20 फीट चौडा स्थित है। इस रास्ते को
नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण के मन में बदयानित आ गई है इस
पर प्रत्यार्थीगणों ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्व करने पर आमदा
है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है।
इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया
जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना
पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार खसरा
संख्या 1620 तक पहुँचने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहे गए ... भूमि खसरा संख्या 1621 एवं 1622 की
भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा ... 277 फीट • 7.5 फीट = 2077.5 वर्ग
फीट= रकबा 0.0193 है0 तथा खसरा संख्या 1622 ... फीट • 7.5 फीट = 2175 वर्ग फीट=

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 16:08:49 IST
Reason: SelfAttested

श्योराम
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

रकबा 0.0202 है0 भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान फोलोअप केम्प कोर्ट करवर में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम करवर पटवार मण्डल करवर तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खसरा संख्या 1319/07–08, 1598/01–03, 1600/00–14 तथा 1620/34–12 कुल किता 4 कुल रकबा 43 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 1621 में से रकबा 277 फीट • 7.5 फीट = 2077.5 वर्ग फीट= रकबा 0.0193 है0 तथा खसरा संख्या 1622 में से रकबा 290 फीट • 7.5 फीट = 2175 वर्ग फीट= रकबा 0.0202 है0 भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 16:08:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner